



भारत में सोशल मीडिया का वनियमन

प्रलिस के लयः

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सोशल मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम, 2000 की धारा 69A, सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम, 2000 की धारा 79(1), सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशानरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहति) नयिम, 2021, [LGBTQIA+](#)

मेन्स के लयः

भारत में सोशल मीडिया का वनियमन, समाज के वभिन्न वर्गों पर सोशल मीडिया का प्रभाव ।

[स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने चल रहे न्यायालयी मामलों के बारे में [गलत सूचना](#) फैलाने के लयि [सोशल मीडिया](#) के बढ़ते दुरुपयोग पर चर्चा व्यक्त की है । न्यायालय का मानना है कयिह "फेक न्यूज" न्यायकि कार्यवाही में हस्तक्षेप करती है, तथा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

भारत में सोशल मीडिया को कैसे वनियमति कयिा जाता है?

- [सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम, 2000 \(आईटी अधनियम\)](#): यह प्रमुख कानून है जो [इलेक्ट्रॉनिक शासन \(e-Governance\)](#) के लयि कानूनी आधार स्थापति करके सोशल मीडिया सहति इलेक्ट्रॉनिक संचार के सभी कषेत्रों को नयितरति करता है ।
 - [सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम, 2000 की धारा 69A](#) सरकार को वशिषिट शर्तों के तहत सार्वजनिक पहुँच से नमिन जानकारी को ब्लॉक करने का अधिकार देती है, जसिमें शामिल हैं-
 - भारत की संप्रभुता और अखंडता का हति
 - भारत की रक्षा
 - राज्य की सुरक्षा
 - वदिशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
 - सार्वजनिक व्यवस्था
 - उपरोक्त से संबंधति कसिी भी संजज्ञेय अपराध को करने के लयि उकसाने से रोकना ।
 - [सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम, 2000 की धारा 79\(1\)](#) मध्यस्थों (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) को कुछ शर्तों के अधीन, तीसरे पक्ष की जानकारी के दायतिव से छूट प्रदान करती है:
 - मध्यस्थ की भूमिका एक संचार प्रणाली तक पहुँच प्रदान करने तक सीमति है, जसिके माध्यम से तीसरे पक्ष की जानकारी प्रसारति, होस्ट या संग्रहीत की जाती है ।
 - ट्रॉसमशिन, प्राप्तकर्त्ता का चयन (Recipient Selection), या सामग्री संशोधन को मध्यस्थ द्वारा प्रारंभ या नयितरति नहीं कयिा जाता है ।
 - हालाँकि, [धारा 66A \(ऑनलाइन सामग्री से संबंधति\)](#) जैसी कुछ वविदासपद धाराओं को [श्रेया सधिल बनाम भारत संघ](#) मामले में अभवियकृति की स्वतंत्रता से संबंधति चर्चाओं के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दयिा गया था ।
- [सूचना प्रौद्योगिकी \(मध्यवर्ती संस्थानों के लयि दशान-नरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहति\) नयिम, 2021](#): आईटी नयिम (2021) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सामग्री मॉडरेशन में अधिक प्रशिरम करने, अनुचति सामग्री को तुरंत हटाकर ऑनलाइन सुरक्षा सुनशिचति करने का आदेश देते हैं ।
 - उपयोगकर्त्ताओं को गोपनीयता नीतयिों के बारे में शकिषति कयिा जाना चाहयि, कॉपीराइट सामग्री, अपमानजनक सामग्री या राष्ट्रीय सुरक्षा या मैत्रीपूर्ण संबंधों को खतरे में डालने वाली कसिी भी चीज से बचना चाहयि ।
 - इन नयिमों में [2023 के संशोधन](#) में कहा गया है कफेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एयरटेल जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं सहति ऑनलाइन मध्यस्थों को भारत सरकार के बारे में गलत जानकारी के प्रसार को रोकना होगा ।
 - तीसरे पक्ष की सामग्री से कानूनी सुरक्षा बनाए रखने के लयि उन्हें [तथ्य-जाँच इकाइयों](#) द्वारा झूठ के रूप में चहिनति सामग्री को भी हटा

देना चाहिये।

- हालाँकि संशोधित प्रावधानों के कार्यान्वयन पर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी।

सोशल मीडिया का समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?

■ युवा और वदियार्थी:

- गुण: आत्म-अभिव्यक्ति और सक्रियता के लिये सूचना, शैक्षणिक संसाधनों, नेटवर्क के अवसरों एवं प्लेटफॉर्मों तक पहुँच।
- दोष: [साइबरबुलिंग](#) का खतरा, पढ़ाई से ध्यान भटकना, तुलना और सामाजिक दबाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ।
 - उदाहरण: ब्लू व्हेल गेम

■ महिलाएँ:

- गुण: सोशल मीडिया महिलाओं को अपनी राय व्यक्त करने, अनुभव साझा करने और लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों एवं सामाजिक मुद्दों की वकालत करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
 - उदाहरण: मी टू आंदोलन
- दोष: **अवास्तविक सौंदर्य आदर्शों को कायम** रखता है, जिससे शरीर की छवि संबंधी समस्याएँ, आत्म-सम्मान संबंधी समस्याएँ, उत्पीड़न, साइबरबुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

■ LGBTQIA+:

- गुण: सोशल मीडिया LGBTQIA व्यक्तियों को आगे की राह, वकालत मंच, शिक्षा और सामुदायिक नेटवर्क प्रदान करके सशक्त बनाता है।
- दोष: हालाँकि, यह उन्हें साइबरबुलिंग, गोपनीयता जोखिम और कलंक के प्रति भी उजागर करता है।

■ व्यवसाय और उद्यमी:

- गुण: लागत प्रभावी विपणन, ग्राहक जुड़ाव, ब्रांड प्रचार और वैश्विक बाजार तक पहुँच।
- दोष: नकारात्मक प्रतिक्रिया और जनसंपर्क संकट तेज़ी से फैल सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रतिसिद्धा दृश्यता एल्गोरिदम पर निर्भर करती है।

■ सरकार एवं राजनीति:

- गुण: नागरिकों के साथ संचार में वृद्धि, पारदर्शिता, नीतियों और अभियानों के लिये समर्थन जुटाना।
- दोष: गलत सूचना का प्रसार, ध्रुवीकरण, गोपनीयता संबंधी चिंताएँ, चुनावों में वदेशी हस्तक्षेप की संभावना।
 - उदाहरण: कैम्ब्रिज एनालिटिक्स स्कैंडल

■ न्यायपालिका:

- गुण: सोशल मीडिया जनता को न्यायालयी कार्यवाही, नरिणियों और कानूनी विकास पर वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करके पारदर्शिता बढ़ा सकता है।
- दोष: सामाजिक प्लेटफॉर्मों पर साझा की गई कानूनी जानकारी की गलत व्याख्या या वरिष्ठता का जोखिम, संभावित रूप से गलत सूचना का कारण बनता है।

■ मीडिया एवं पत्रकारिता:

- गुण: त्वरित समाचार प्रसार, दृशकों की सहभागिता, नागरिक पत्रकारिता और विविध दृष्टिकोण।
- दोष: फर्ज़ी समाचार और गलत सूचना चुनौतियाँ, पारंपरिक राजस्व मॉडल का नुकसान, नष्पक्षता को प्रभावित करने वाले प्रतियोगिता कक्ष।

■ बुजुर्ग और कम तकनीक-प्रेमी व्यक्तित्व:

- गुण: परिवार एवं दोस्तों से कनेक्टिविटी, सूचना और सेवाओं तक पहुँच।
- दोष: डिजिटल विभाजन, ऑनलाइन घोटालों और गलत सूचनाओं के प्रति संवेदनशीलता, तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण गोपनीयता संबंधी चिंताएँ।

सोशल मीडिया की उपयोगिता और विश्वसनीयता में सुधार के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **एल्गोरिथम पारदर्शिता:** पूर्वाग्रहों को कम करने तथा सामग्री दृश्यता में सुधार करने के लिये प्लेटफॉर्मों को अपने एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली का खुलासा करने और समझाने की आवश्यकता है।
 - जवाबदेही बढ़ाने के लिये प्लेटफॉर्मों को सामग्री मॉडरेशन, डेटा प्रथाओं और नयिमक मानकों के अनुपालन पर नयिमति पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने की आवश्यकता है।
- **डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम:** गलत सूचना और [ऑनलाइन उत्पीड़न](#) की पहचान करने तथा उससे निपटने में उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिये व्यापक डिजिटल साक्षरता संबंधी शिक्षा को लागू करना।
- **AI मॉडरेशन उपकरण:** अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए हानिकारक सामग्री का तेज़ी से पता लगाने और उसे हटाने के लिये सामग्री मॉडरेशन के लिये उन्नत AI उपकरण विकसित करना।
- **गोपनीयता-बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियाँ:** उपयोगकर्ता की गोपनीयता और सुरक्षा को मज़बूत करने के लिये [एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन](#) तथा [डेटा अनामीकरण](#) जैसी प्रौद्योगिकियों में निवेश करना।
- **नैतिक डिज़ाइन प्रथाएँ:** नैतिक डिज़ाइन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना जो उपयोगकर्ता के ध्यान को अधिकतम करने के बजाय उपयोगकर्ता के हित, मानसिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक जुड़ाव को प्राथमिकता देती हैं।
- **सकारात्मक सामग्री निर्माण को प्रोत्साहित करना:** सूचनात्मक, शैक्षणिक या समुदाय-निर्माण सामग्री बनाने वाले उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये तंत्र लागू करना।
 - भारत का [राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024](#) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दृष्टि भेन्स प्रश्न:

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता संबंधी चर्चाओं और जवाबदेही की आवश्यकता के बीच संतुलन पर विचार करते हुए, भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को वनियमिति करने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित के वर्ष प्रश्न

प्रश्न. 'सामाजिक संजाल स्थल' (Social Networking Sites) क्या होती हैं और इन स्थलों से क्या सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती हैं? (2013)

प्रश्न. बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये। (2023)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/social-media-regulation-in-india>

